	नम्बर अहकाम हुक्म में	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		18-7-19 वकील प्रार्थी उप० बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 8-8-19 को पेशहो। 8-8-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। द्वीय प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
118/2010	15.12.2010	8.8.2019

गोपाल प्रसाद पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि0 चूली तह0 गंगापुर सिटी --प्रार्थी

बनाम

सियाराम पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र ब्रीच

उपस्थित :-श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी वादी ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का मु0नं0 169/2000 प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय हाजा ने उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर दिनांक 6.10.2015 को यह निर्णय व डिक्री पारित की कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ख0नं0 1702 रकबा 14 एयर ग्राम चूली के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री की अवहेलना करते हुए दिनांक 5.12.2010 को अपने साझी बत्तीलाल व अपने गिरोहबन्द साथियों की मदद से प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1702 का उत्तरी पूर्वी हिस्सा दबाते हुए नजरी नक्शे में दर्शित लाल लाइन पर करीब 40 मीटर लम्बी व 3 फीट चौडी तथा ढाई फीट ऊंची मिट्टी की नवीन डौल का नाजायज तरीके से दि0 5.12.2010 को निर्माण कर लिया। प्रार्थी को जब उक्त नाजायज कृत्य की सूचना मिली तो प्रार्थी तुरन्त अपने खेत पर पहुंचा तथा अप्रार्थी से उक्त नाजायज निर्माण करने के लिए मना किया और कहा कि इस जमीन पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करने के लिए कोर्ट ने आपको पाबंद कर रखा है फिर आप यह नाजायज निर्माण क्यों कर रहे हो तथा मेरे कब्जे काश्त में बाधा पैदा क्यों कर रहे हो। इस पर अप्रार्थी व उसके साथी प्रार्थी से झगडे पर आमादा हो गए। प्रार्थी झगडे की सूरत देखकर वहां से चला आया। अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.05 की उक्त प्रकार स्पष्ट रूप से अवहेलना की है जिसकी सजा उन्हें मिलना आवश्यक है तथा उक्त नाजायज निर्माण तुरन्त हटवाए जाने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री अदालत हाजा की है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2005 की अवहेलना के अपराध में 3 माह का सिविल कारावास भुगताया जावे तथा उसकी चल व अचल सम्पत्ती कुर्क व नीलाम फरमाई जावे तथा अप्रार्थी ने नजरी नक्शे में दर्शित लाल लाइन में जो नाजायज निर्माण किया है उसे तुरन्त हटवाया जावे ताकि प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 2.3.2012 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी ने अपने ब्रीच प्रार्थना पत्र के समर्थन में नजरी नक्शा प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2005 बउनवानी मुकदमा गोपाल प्रसाद बनाम मदनमोहन वगैरा प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है एवं प्रार्थी गोपाल प्रसाद के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने ब्रीच प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2005 के अनुसार अप्रार्थी को भूमि ख0नं0 1702 रकबा 14 एयर ग्राम चूली के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था। ब्रीच प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी ने इस आदेश की दिनांक 5.12.2010 को अवहेलना की है। ब्रीच प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा उसकी उपरोक्त वर्णित भूमि में 40 मीटर लम्बी 3 फीट चौडी व ढाई फीट ऊंची डौल नाजायज तरीके से बना लेने का वर्णन किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में स्वयं के बयान कराए हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर भूमि ख0नं0 1702 की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 9.7.14 के अनुसार भूमि ख0नं0 1702 मौके पर पडत बताई गई है। इस मौका रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा कोई डौल बनाने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट के अनुसार ब्रीच प्रार्थना पत्र की पुष्टि नहीं होती है। ब्रीच प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रार्थी ने किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान भी नहीं करवाया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के ब्रीच प्रार्थना

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्र की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप ब्रीच प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी प्रस्तुत ब्रीच प्रार्थना पत्र दस्तावेजी एवं स्वतंत्र साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है । अतः ब्रीच प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: